दैनिक भास्कर
रायपुर 16-07-2025

तोमर ब्रदर्स 45 दिनों बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर, परिवार की बड़ी बहू के बाद छोटी बहू भी पकड़ी गई

हिस्ट्रीशीटर रोहित फरार, पत्नी भावना चला रही थी सूदखोरी की कंपनी, इसी आड़ में वसूली; गिरफ्तार

क्राइम रिपोर्ट | रायपुर

तोमर परिवार की बड़ी बहू शुभ्रा तोमर की गिरफ्तारी के 32 दिनों के बाद छोटी बहू भावना सिंह तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्योंकि वही सूदखोरी के लिए चलाई जा रही कंपनी शुभकामना वेंचर्स की डायरेक्टर है। इसी कंपनी की आड़ पर तोमर परिवार सूदखोरी और वसूली का अवैध धंधा चला रहा है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए पहले लोन दिया जाता है और बाद में 10 गुना तक पैसा वसूला जाता है। मंगलवार को पुलिस ने भावना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

भास्कर लगातार

सूदखोरी का साम्राज्य

पुरानी बस्ती टीआई योगेश कश्यप ने बताया कि जून में तोमर ब्रदर्स के घर भाठागांव में छापा मारा गया था। वहां से 35 लाख कैश, 66.50 लाख का सोना समेत चांदी और दस्तावेज जब्त किए गए थे। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि तोमर ब्रदर्स सूदखोरी का काम शुभकामना वेंचर्स के नाम से करते हैं। इसकी डायरेक्टर भावना सिंह तोमर है। कंपनी लोगों को 1 से लेकर 6 लाख तक कर्ज देती है। इसके बदले में 10 गुना तक पैसा वसूल करते हैं। पैसा नहीं देने पर प्रॉपर्टी, गाड़ी और जेवर जब्त कर लेते हैं। आरोपी कर्ज देने के दौरान खाली स्टाम्प, चेक और कागज में हस्ताक्षर कराकर रख लेते हैं। उसके बाद उसका दुरुपयोग करते हैं।

3 लाख कर्ज के बदले 7 लाख वसूले, 45 लाख की कार भी जब्त... और मांग रहे 10 लाख

पुलिस के अनुसार भिलाई के कारोबारी मनोज वर्मा ने 2016 में कारोबार के लिए शुभकामना वेंचर्स से 3 लाख रुपए उधार लिया था। मनोज ने 100 दिनों के भीतर ही 7 लाख रुपए तोमर ब्रदर्स को वापस कर दिया। इसके बाद भी उससे 25 लाख रुपए मांगने लगे। मनोज ने रुपए देने से इंकार किया तो धमकी देने लगे और उसके घर पर गुर्गे भी भेजे गए। तोमर के गुर्गे एक दिन मनोज के घर आए और उनकी 45 लाख की जगुआर कार छीनकर ले गए। उन्होंने कई बार अपनी गाड़ी मांगी, लेकिन तोमर ब्रदर्स ने नहीं लौटाई। उल्टे वे 10 लाख की मांग करने लगे। इसी मामले में मंगलवार को भावना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मनोज की कार भी जब्त कर ली गई है।

परिवार के तीन सदस्य जेल में, तोमर ब्रदर्स को दी गई 18 अगस्त तक मोहलत

भावना तोमर

सूदखोरी, वसूली और ब्लैकमेलिंग केस के वांटेड वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर को 45 दिनों बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। रायपुर पुलिस का पूरा तंत्र दोनों की तलाश में लगा हुआ है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि उनकी तलाश में पुलिस ने यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी की है। कोर्ट ने भी दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सोमवार को दोनों को कोर्ट ने फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी किया है। दोनों को 18 अगस्त तक कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। दोनों की फरारी के दौरान पुलिस ने पहले वीरेंद्र तोमर की पत्नी शुभ्रा, फिर रोहित तोमर के साले दिव्यांश सिंह और अब रोहित की पत्नी भावना को गिरफ्तार किया है। तोमर परिवार का केस देखने वाली वकील संगीता सिंह और उसके सहयोगी प्रभंजन सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तोमर ब्रदर्स के लिए वसूली करने वाले बंटी सहारे और जितेंद्र देवांगन को भी गिरफ्तार किया है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी

पुलिस का दावा है कि सूदखोरी से खड़ी की गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। राजस्व विभाग से दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी की जानकारी निकाल ली गई है। उसकी पहचान भी कर ली गई है। कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।